दिनांक 26–04–2013 को श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली, 1995 के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समति की बैठक की कार्यवाही :–

1– उपस्थिति – पंजी के अनुसार

कार्यावली बिंदु संख्या–2

विगत बैठक की कार्यवाही के अनुपालन की समीक्षा।

2– माननीय मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष की अनुमति से सर्वप्रथम सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग ने राज्य सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए सूचित किया कि आज की बैठक की कार्यावली एवं दिनांक–26.10.12 की बैठक की कार्यवाही तथा अनुपालन प्रतिवेदन सभी सदस्यों को उपलब्ध करा दिया गया है। किसी भी सदस्य द्वारा कार्यवाही में संशोधन का प्रस्ताव प्राप्त नहीं है। अतः सर्वसम्मति से दिनांक–26.10.12 की बैठक की कार्यवाही सम्पुष्ट की गई।

अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक–26.10.2012 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन प्रतिवेदन की कंडिकावार समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गये/निर्णय लिये गये :–

2– (क) पुलिस महानिदेशक के स्तर पर **Conviction Rate** में सुधार एवं लंबित मामलों **(pending cases)** में कमी के लिए बनाई गई कार्य योजना की समीक्षा:–

राज्य में दोषसिद्धि दर (Conviction Rate) एवं बड़ी संख्या में लंबित वादों **(pending cases)** की समीक्षा के क्रम में अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि पुलिस महानिदेशक द्वारा सभी पुलिस अधीक्षक/अनुसंधान कर्त्ता के साथ दोषसिद्धि दर (Conviction Rate) में वृद्धि एवं लंबित वादों **(pending cases)** की संख्या में कमी लाने के लिए नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण किया जाय।

(अनुपालनः– पुलिस महानिदेशक)

लंबित वादों **(pending cases)** की संख्या में कमी लाने के संबंध में सचिव, विधि विभाग द्वारा बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय से अनन्य विशेष न्यायालयों (Exclusive Special Court) की स्थापना हेतु जिलों के न्यायालयों में लंबित वादों के आकड़ों के आधार पर अनुरोध किया जा सकता है।

संयोजक–सह–सचिव ने बताया कि लंबित वादों के आकड़ों के आधार पर राज्य के सभी प्रमंडलीय मुख्यालय यथा, पटना, भागलपुर, पूर्णियां, सहरसा, मुजफ्फरपुर (तिरहुत), सारण, मुंगेर, दरभंगा एवं गया के साथ–साथ पूर्वी चम्पारण, प0 चम्पारण, बेगूसराय, मधुबनी, समस्तीपुर, वैशाली, भोजपुर एवं रोहतास में अनन्य विशेष न्यायालयों (Exclusive Special Court) की स्थापना पर विचार किया जा सकता है।

इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया गया कि वैसे जिला, जहाँ पर इस अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज लंबित काण्डों/वादों की संख्या अधिक है, में अनन्य विशेष न्यायालयों (Exclusive Special Court) की स्थापना के लिए गृह विभाग एवं विधि विभाग संयुक्त रूप से आंकडों की समीक्षा कर स्थान चिन्हित करेगें। तत्पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय से विधि विभाग द्वारा अनन्य विशेष न्यायालयों (Exclusive Special Court) की स्थापना के लिए अनुरोध किया जायेगा।

(अनुपालनः–गृह विभाग/विधि विभाग)

2– <u>(ख) नव सृजित "अनु0 जाति/अनु0 जनजाति विशेष थाना" में आधारभूत संरचना एवं अन्य संसाधनों की उपलब्धता की समीक्षा।</u>

पुलिस महानिदेशक द्वारा बताया गया कि "अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विशेष थाना" को आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के लिए सभी जिलों को राशि उपलब्ध करा दी गई है।

विशेष थानों को आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के संबंध में की गई समीक्षा के क्रम में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि *"अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विशेष थाना"* को शीघ्र आधारभूत संरचना उपलब्ध करायी जाय एवं उन्हे मॉडल थाना के रूप में विकसित किया जाय।

(अनुपालन :– गृह (विशेष) विभाग/पुलिस मुख्यालय)

2– (ग) <u>अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों के भूमि विवाद से संबंधित मामलों के निरंतर अनुश्रवण हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा गठित विशेष कोषांग के कार्यो की समीक्षा।</u>

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा समिति को बताया गया कि राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों के भूमि विवाद के अनुश्रवण के लिए *"विशेष कोषांग"* का गठन कर लिया गया है। सभी जिलो से दखल कब्जा दिलाने के संबंध में की गयी कार्रवाई से संबंधित अंचलवार/माहवार प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदन के अनुसार कुल 1380 मामलों में से 627 मामलों का निष्पादन किया गया है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि मुख्य सचिव द्वारा आयोजित विडियो कॉन्फ्रेन्सिग के माध्यम से की जानेवाली मासिक समीक्षात्मक बैठक में अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों के भूमि विवाद से संबंधित मामलों की समीक्षा एवं अनुश्रवण को कार्यावली (Agenda) में शामिल करते हुए सभी जिला पदाधिकारी से समीक्षा की जाय।

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी निदेश दिया गया है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा गृह विभाग इस संबंध में राज्यस्तर पर समेकित प्रतिवेदन तैयार कर समीक्षा करेंगे एवं फला–फल से प्रत्येक बैठक में अवगत करायेगे।

(अनुपालनः–पुलिस मुख्यालय/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/गृह विभाग एवं सभी जिला पदाधिकारी)

कार्यावली बिन्दु संख्या :–3

3– **नोडल पदाधिकारी (प्रधान सचिव, गृह विभाग) द्वारा नियम–9 के अन्तर्गत नियम–4(2), नियम–4(4), नियम–6 एवं नियम–8(XI) के अधीन किये गये कार्यो की समीक्षाः–**

प्रधान सचिव, गृह विभाग द्वारा बताया गया कि नियम–9 के आलोक में इस अधिनियम के तहत् दिनांक–05.02.2013 को नोडल पदाधिकारी के रूप में त्रैमासिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित कर निम्नलिखित का पुनर्विलोकन किया गया है:–

(i) नियम–4 के उपनियम (2) और उपनियम (4) नियम–6, नियम–8 के खण्ड (ix) के अधीन राज्य सरकार को प्राप्त रिपोर्ट,

(ii) अधिनियम के अधीन दर्ज मामलों की स्थिति,

(iii) परिलक्षित क्षेत्र में विधि व्यवस्था की स्थिति,..... इत्यादि।

उक्त बैठक में पुलिस महानिरीक्षक (क0व0) एवं महानिदेशक, अभियोजन के साथ जिला स्तर पर दर्ज मामलों, लंबित मामलों, विशेष पदाधिकारियों के कार्यो की समीक्षा के क्रम में निर्णय लिया गया कि अनु0 जाति/जनजाति पर अत्याचार के मामलों में जिला स्तर पर पर्याप्त अनुश्रवण एवं समीक्षा की आवश्यकता है। इस संबंध में समय–समय पर आवश्यक निर्देश दिये जा रहे है।

समीक्षा के क्रम में अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि नोडल पदाधिकारी (प्रधान सचिव गृह विभाग) नियम–9 के अन्तर्गत नियम–4(2), नियम–4(4), नियम–6 एवं नियम–8(XI) के अधीन किये गये कार्यो की नियमित समीक्षा करेंगे।

(अनुपालनः– पुलिस महानिरीक्षक (क0व0)/महानिदेशक, अभियोजन/गृह (विशेष) विभाग)

साथ ही अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग में **"विशेष कोषांग"** के लिए आवश्यक पदाधिकारी/कर्मचारी/विशेषज्ञ इत्यादि सामान्य प्रशासन विभाग/अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

(अनुपालनः– अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग)

कार्यावली बिन्दु संख्या :–4

/4– नियम–4 के तहत महानिदेशक अभियोजन के द्वारा विशेष लोक अभियोजकों की कार्यक्षमता (Performance Appraisal) की समीक्षाः–

महानिदेशक, अभियोजन द्वारा सूचित किया गया कि नियम–1995 के नियम–4(2) के आलोक में विशेष लोक अभियोजकों के कार्यों की समीक्षा की गई है। जिसमें 22 जिलों से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। पुनः सभी जिलों से विशेष लोक अभियोंजकों के कार्यों की समीक्षा की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि विशेष लोक अभियोजकों के कार्यों की प्रत्येक कलैण्डर वर्ष में जनवरी एवं जुलाई माह में जिला पदाधिकारियों द्वारा समीक्षा की जाय। असंतोषजनक प्रदर्शन करने वाले विशेष लोक अभियोजकों के ~~विरूद्ध~~ संबंध नियमानुसार कार्रवाई की जाय। उन्होंने यह भी निदेश दिया कि महानिदेशक, अभियोजन इस संबंध में राज्यस्तर पर सभी जिलों का नियमित अतंराल में समीक्षा करेगें तथा समेकित प्रतिवेदन तैयार कर अगली बैठक में प्रस्तुत करेंगे।

(अनुपालनः– गृह विभाग/विधि विभाग/महानिदेशक, अभियोज़न/सभी जिला पदाधिकारी)

कार्यावली बिन्दु संख्याः–5

/5– नियम–4(1) के अनुसार सचिव, विधि विभाग द्वारा विशेष लोक अभियोजकों के लिए जिलावार वरिष्ठ अधिवक्ताओं के नवीन पैनल तैयार करने एवं नियम–4(6) के अनुसार उनके उच्चतर दर पर फीस का निर्धारण/भुगतान की समीक्षाः–

सचिव, विधि विभाग द्वारा सूचित किया गया कि ज़िलास्तर पर विशेष लोक अभियोजकों को उच्चत्तर दर पर फीस का निर्धारण/भुगतान के करने के संबंध में ज्ञाप सं0–484 दिनांक–01.10.2012 निर्गत की गयी है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 के अन्तर्गत दर्ज काण्डों के संचालन के लिए नियुक्त विशेष लोक अभियोजकों उच्चतर दर पर फीस का भुगतान करने का स्पष्ट निंदेश नही है। इस सदर्भ में नियम–4(6) के अनुसार विशेष लोक अभियोजकों को उच्चत्तर दर पर फीस का भुगतान करने के लिए पुनः निदेश सभी जिला दण्डाधिकारियों को भेजी जाएगी।

(अनुपालनः–विधि विभाग/ सभी जिला पदाधिकारी)

इस अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मामलों में माननीय उच्च न्यायालय में सरकार का पक्ष मजबूती एवं प्रभावकारी ढ़ंग से रखने के लिए महाधिवक्ता के द्वारा अपर महाधिवक्ता/स्थायी समूपदेशक/विशेष लोक अभियोजकों के नामों का प्रस्ताव प्राप्त है। इन्हे शीध्र ही माननीय उच्च न्यायालय में लंबित वादों में पैरवी करने की जिम्मेवारी सौपी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि शीध्र समीक्षा कर अंतिम रूप दिया जाय। साथ ही नियम–4(6) के अनुसार विशेष लोक अभियोजकों को उच्चत्तर दर पर फीस का भुगतान किया जाय।

(अनुपालनः– विधि विभाग)

अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि अत्यचार के मामलों में गवाहों/पीड़ित/आश्रित को देय दैनिक भत्ता/यात्रा भत्ता इत्यादि का भुगतान किया जाय। विभागीय सचिव ने बताया कि इस संबंध में विभाग द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को मार्गदर्शन दिया गया है और इस हेतु आवश्यक राशि जिला कल्याण पदाधिकारी को आवंटित की जाती है।

(अनुपालनः– सभी जिला पदाधिकारी/आरक्षी अधीक्षक/अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग)

6– <u>नियम–10 के अन्तर्गत "विशेष पदाधिकारी" के कार्यो की समीक्षाः–</u>

सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा सूचित किया कि नियम–10 के अनुसार प्रत्येक जिला में अपर जिला दण्डाधिकारी के स्तर के पदाधिकारी को ***"विशेष पदाधिकारी"*** के रूप में नामित है, जो मुख्य रूप से अत्याचार पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल राहत एवं अन्य सुविधा प्रदान करने, अत्याचार को पुनः होने से रोकने या उससे बचाने के उपाय करने, लक्षित वर्ग में अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जागरूकता फैलाने इत्यादि के लिए जिम्मेवार है।

उन्होने बताया कि विशेष पदाधिकारियों द्वारा किये गये कार्यों की सूचना 7 जिलों यथा बक्सर, पटना, वैशाली, जहानाबाद, नालन्दा, सारण एवं भोजपुर से प्राप्त हुई है। मुख्य सचिव के पत्रांक–258 दिनांक–8.2.13, एवं विभागीय पत्रांक–537 दिनांक–11.03.13 द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को नियम–10 के अनुसार विशेष अधिकारी के कार्यो की समीक्षा करने का निदेश दिया गया है। सभी जिलों से अपर समाहर्त्ता स्तर के विशेष पदाधिकारी के नाम प्राप्त है। परन्तु अपेक्षित समीक्षा नही हो पा रही है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि मुख्य सचिव के स्तर से विडियो कॉन्फ्रेन्सिग के माध्यम से सभी जिला पदाधिकारियों को निदेशित किया जाय कि विशेष पदाधिकारी के कार्यों की समीक्षा प्रत्येक माह करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिशिचित किया जाय।

(अनुपालनः–सभी जिला पदाधिकारी/गृह विभाग/अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/मुख्य सचिव)

7– पीड़ित व्यक्तियों को दी गयी राहत और पुनर्वास सुविधाएं तथा उससे संबद्ध अन्य मामलों की समीक्षा :–

संयोजक–सह–सचिव द्वारा बंताया गया कि वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में ₹695.00 लाख का बजट प्रावधान है। वर्ष 2012–13 में ₹226.76 लाख की राशि व्यय कर 1552 पीड़ितों को लाभान्वित किया गया है।

सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग ने बताया कि अंतिम आरोप पत्र समर्पित नहीं किये जाने के कारण राहत राशि के भुगतान में कठिनाई होती है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि पुलिस महानिरीक्षक (कमजोर वर्ग) द्वारा सभी पुलिस अधीक्षकों को अंतिम आरोप पत्र समय पर समर्पित करने एवं सुसंगत मामलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 की उपयुक्त धाराओं के तहत् प्राथमिकी दर्ज करने ~~के आदेश~~ का निदेश दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि पीड़ितों को त्वरित गति से राहत राशि एवं पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालनः– सभी जिला पदाधिकारी/ पुलिस अधीक्षक/पुलिस महानिरीक्षक (क0व) /अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)

8– जिला स्तर पर गठित निगरानी एवं अनुश्रवण समिति के कार्यकलाप की समीक्षाः–

संयोजक–सह–सचिव ने बताया कि नियम–17 के आलोक में जिलास्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में एक वार आयोजित की जानी है। उन्होंनें बताया कि राज्यस्तरीय सतर्कता एवं मोनीटरिंग समिति में प्राप्त निदेश के आलोक में समिति की बैठक का पाक्षिक रोस्टर (पन्द्रह दिन) निम्नांकित रूप से निर्धारित किया गया है:–

प्रत्येक तीन माह पर बैठक की अवधि :–

जनवरी – मार्च	1 से 15 फरवरी, 2013 के बीच
अप्रैल – जून	1 से 15 मई, 2013 के बीच
जुलाई – सितम्बर	1 से 15 अगस्त, 2013 के बीच
अक्टूबर – दिसम्बर	1 से 15 नवम्बर , 2013 के बीच

तदनुसार सत्रह जिलों में–04, ग्यारह जिलों में–03 एवं सात जिलों में–02 बैठक आयोजित की गयी है। जमुई, अरवल, एवं बाँका में मात्र एक बैठक आयोजित की गयी है।

अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि इस संबंध में मुख्य सचिव के स्तर से सभी जिला पदाधिकारियों को जिलास्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक निर्धारित समय पर करने एवं बैठक की कार्यवाही विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया जाय। उन्होंने यह भी निदेश दिया कि जमुई, अरवल, एवं बाँका में बैठक निर्धारित रोस्टर के अनुसार आयोजित करने का निदेश दिया जाये।

(अनुपालन–सभी जिला पदाधिकारी/अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग/मुख्य सचिव)

महानिदेशक विपार्ड (BIPARD) द्वारा बताया गया कि पुलिस प्रशासन जिला में पदस्थापित थाना प्रभारी/पुलिस निरीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक/पुलिस अधीक्षक इत्यादि को इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विपार्ड (BIPARD) के माध्यम से प्रशिक्षित करने हेतु माडॅयुल तैयार की जा रही है। सम्बन्धित अन्य पदाधिकारियों को अधिनियम/नियम के प्रावधानों की जानकारी के लिए भी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

(अनुपालन– पुलिस महानिदेशक/विपार्ड)

9– <u>अत्याचार प्रभावित धोषित जिलों में धटित अपराधों की समीक्षा एवं अत्याचार प्रभावित जिलों का पुनः निर्धारण, अगर आवश्यक हो:–</u>

प्रधान सचिव, गृह विभाग ने बताया कि राज्य के 38 जिलों के काण्डों की समीक्षा की जा रही है। यथाशीध्र जिलों में अत्याचार की घटनाओं की समीक्षा कर "अत्याचार प्रभावित क्षेत्र" के पुनर्निर्धारण कर ली जाएगी ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि गृह विभाग प्रत्येक दो वर्ष पर "अत्याचार प्रभावित क्षेत्र" की समीक्षा की जाय।

(अनुपालन–गृह विभाग)

संयोजक–सह–सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा बताया गया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, भारत सरकार, नई दिल्ली के निदेश के आलोक में सिर पर मैला ढ़ोनेवाले लाभार्थियों का सर्वेक्षण कार्य अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा माह, जून, 2013 तक करा लिया जाएगा।

(अनुपालनः– अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)

12– <u>अध्यक्ष महोदय की अनुमति से</u> :–

(क) **श्रीमती अमला देवी, स.वि.स.** द्वारा अनुरोध किया गया कि

(i) ग्राम–मलहनवा, ग्राम पंचायत–बभनगमा, प्रखण्ड–सह–अंचल त्रिवेणीगंज, जिला सुपौल में महादलित परिवारों को अंचलाधिकारी, त्रिवेणीगंज में बघला नदी की जमीन बंदोवस्त की गई है, जो उनके लिए अनुपयोगी है। राज्य स्तर के पदाधिकारी द्वारा इसकी पुनः जांच कराई जाए एवं उपयोगी बनाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आवश्यक कार्रवाई करे।

अध्यक्ष, महोदय द्वारा प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को निदेश दिया गया कि वे संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारी से स्थल जांच कराकर नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करे।

(अनुपालनः– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)

(ii) सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज विधानसभा के जदिया थाना काण्ड सं0–23/13 में रमन सदा की हत्या की गई है। पुलिस उपाधीक्षक की लापरवाही से अभियुक्तों की गिरफ्तारी नही हुई है। आश्रित को मुआवजा दी जाय।

(अनुपालनः– पुलिस महानिरीक्षक, क0 व0/ आरक्षी अधीक्षक, सुपौल/जिला पदाधिकारी, सुपौल)

(iii) श्रीमती निर्मला देवी पति श्री मनोज कुमार साह सा0–डपरखा, थाना–त्रिवेणीगंज, जिला–सुपौल से प्राप्त परिवाद पत्र की जांच कराकर नियमानुसार कार्रवाई की जाय।

(अनुपालनः– पुलिस महानिरीक्षक, क0 व0/ आरक्षी अधीक्षक, सुपौल/जिला पदाधिकारी, सुपौल)

(ख) **श्री मनोहर प्रसाद सिंह, स.वि.स.** द्वारा इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के तहत दर्ज मामलों में नियम–7 के अधीन अन्वेषक अधिकारी अन्वेषण उच्च प्राथमिकता के आधार पर तीस दिनों के भीतर करें।

(अनुपालनः– पुलिस महानिरीक्षक, क0व0)

(ग) **श्री रामचन्द्र सदा, स.वि.स.** द्वारा निम्नलिखित बातों पर ध्यान आकृष्ट किया गया कि खगडिया अचंल अन्तर्गत मौजा– उत्तर माडर में खाता–355 (बिहार सरकार) में पडनेवाले विभिन्न खेसराः–1368, 1369, 1237, 1114, 1319, 1264/1649, 1444/1639 तथा खाता सं0–02 के खेसरा 1067 गैरमजरूआ खास नदी, झील एवं बकास्त भूमि के रूप में सर्वेकाल में अंकित हुआ, जो अब खेती के लायक भूमि बन गई है। उक्त भूमि में से कुछ भाग अनुसूचित जाति परिवारों के नाम पर्चा दी गई है परन्तु अबतक वे वेदखल है, शेष बचे भाग पर भूमाफिया एवं दबगों का अबैध कब्जा बरकरार है। यदि उक्त भमि को भूमिहीन महादलित परिवारों में वितरण करा दी जाती है तो वंचित लोगो को रोजी–रोटी एवं सरकार को उचित लगान भी प्राप्त हो सकेगा।

(अनुपालनः–राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)

(ध) **श्री हरि मांझी, माननीय सांसद** द्वारा गया जिला के निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकृष्ट किया गयाः—

(i) बोधगया थाना काण्ड सं0—67/2013।

(ii) बोधगया थाना काण्ड सं0—37/2013।

(iii) परैया थाना काण्ड सं0—26/2013।

(iv) चन्दौती थाना काण्ड सं0—31/2013।

उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि उक्त कांडों में पीड़ित/पीड़िता को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम—1989 के तहत काण्डों की जांच एवं नियमानुसार कारवाई की जाय।

(ध (i) से (iv) अनुपालनः— पुलिस महानिरीक्षक, क0व0/जिला पदाधिकारी, गया)

(v) प्रखण्ड—चन्दौती ग्राम—गोपालपुर, जिला—गया के अनु0 जाति के परिवारों के लिए इन्दिरा आवास योजना के लिए जमीन बंदोबस्ती की जाय।

(अनुपालनः—ग्रामीण विकास विभाग/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)

(ड़) **श्री रामलषण राम रमण, स0वि0स0** ने कहा कि मधुबनी जिलान्तर्गत राजनगर प्रखंड के राज मैदान एवं पुराने परिसर में सीमा सुरक्षा बल के कैम्प हेतु महादलित/दलित की जमीन अधिग्रहण कर बेघर किया जा रहा है। इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से अनुरोध किया गया कि पुनः नये जिला पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी से इसकी जांच करायी जाये।

(अनुपालनः— राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)

(च) **श्री विद्यानंद विकल, माननीय अध्यक्ष, राज्य अनुसूचित जाति आयोग** द्वारा निम्नलिखित मामलो की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गयाः—

(i) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम—1989 के तहत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के विरूद्ध अत्याचार के मामलो में नियम—7 के अधीन अन्वेषक अधिकारी को उच्च प्राथमिकता के आधार पर अन्वेषण तीस दिन के भीतर करते हुए आरोप पत्र (Charge Sheet) समर्पित करने का निदेश दिया जाय।

(अनुपालनः— पुलिस महानिरीक्षक(क0व0)

(ii) अत्याचार के मामलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम—1989 के सही धाराओं का प्रयोग किया जाय।

(अनुपालनः— पुलिस महानिरीक्षक(क0व0)

(iii) किशनगंज, अररिया, खगड़िया, बांका एवं सुपौल में अपर जि० न्यायाधीश–1 के विशेष न्यायालय की स्वीकृति दी जाये।

(अनुपालनः– विधि विभाग)

(iv) प्रमंडलीय मुख्यालय सहित प0 चम्पारण, पू0 चम्पारण, भोजपुर, एव सिवान के न्यायालय में लम्बित वादों का सर्वेक्षण कराया जाये एवं जिलों के न्यायालयों में लंबित काण्डों के आकडों के आधार पर Exclusive Special Court की स्थापना हेतु माननीय उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाये। इस न्यायालय पर होनेवाले व्यय की राशि की मांग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार से की जाये।

(अनुपालनः– गृह विभाग/विधि विभाग)

(v) प0 चम्पारण (बेतिया) में कार्यरत न्यायाधीश श्री डी0एन0 झा द्वारा नरकटियागंज थाना काण्ड सं0–288/12 में, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 के तहत बलात्कार एवं हत्या से संबंधित है, जमानत दिया गया है। उनके जमानत आदेश को खारिज करने हेतु न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप उपर के न्यायालय में आवेदन किये जाने पर विचार किया जाना चाहिए।

(अनुपालनः– गृह विभाग/विधि विभाग)

(vi) गोपालगंज के विशेष लोक अभियोजक को छोड़कर कोई भी विशेष लोक अभियोजकों की भूमिका सकारात्मक नही है। वे अनु0 जाति/अनु0 जनजाति के काण्ड़ों में सुनवाई करने के बजाय दूसरे मामले के सुनवाई में ज्यादा अभिरूचि रखते है। ये लोग गवाहों को होस्टाईल कराने में मुख्य प्रेरक की भूमिका में रहते है। वे अपने कार्यालय/आवास/कोर्ट वार एसोशियन में नेम प्लेट भी नही लगाते है। इन मामलों में Conviction Rate में सुधार एवं लंबित मामलों (pending cases) में कमी लाने के लिए उन्हें सक्रिय किया जाय। साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 के मामलों में अभिरूचि रखनेवाले वरीय अधिवक्ताओं को विशेष लोक अभियोजक के पद पर नामित किया जाये। पूर्णियां के विशेष लोक अभियोजक विकलांग है वही किशनगंज एवं सिवान के विशेष लोक अभियोजक कोर्ट नही करते है। इन्हे तत्काल प्रभाव से हटाया जाना चाहिए।

(अनुपालनः–गृह विभाग/महानिदेशक अभियोजन/विधि विभाग)

(vi) जिला स्तरीय सत्तर्कता एवं अनुश्रवण समिति का पुर्नगठन किया जाय।

(अनुपालनः– सभी जिला पदाधिकारी/अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)

(vii) बेतिया थाना कांड संख्या–735/12 एवं चनपटिया थाना काण्ड सं0–288/12 में बलात्कार एवं हत्या के मामले में परिजनों को मुआवजा/पेशन की राशि दी जाये। साथ ही इस अधिनियम/नियम के तहत पीड़ित/आश्रित का पुर्नवास/उनके बच्चों का नामाकंन आवासीय विद्यालयों कराया जाये।

(अनुपालनः–जिला पदाधिकारी, प0 चम्पारण)

(viii) इस अधिनियम/नियम के तहत बलात्कार एवं हत्या के मामले में परिजनों को मुआवजा/पेंशन की राशि दी जाये। साथ ही इस अधिनियम/नियम के तहत पीड़ित/आश्रित का पुनर्वास/उनके बच्चों का नामाकंन आवासीय विद्यालयों कराया जाये।

(अनुपालनः– सभी जिला पदाधिकारी)

(ix) अधिनियम/नियम के मामलों में अन्वेषण पदाधिकारी (I.O) एवं चिकित्सा पदाधिकारी के गवाही पर सजा होनी चाहिए।

(अनुपालनः–गृह विभाग/महानिदेशक अभियोजन/विधि विभाग)

(x) शाहजहांपुर (पटना) थाना कांड संख्या–62/12 में थाना प्रभारी द्वारा धटना में संलिप्त आरोपी को बचाया जा रहा है। उनके विरूद्ध अधिनियम–1989 की धारा–4 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए।

(xi) डोरीगंज (सारण) थाना कांड संख्या–33/13 में अनुसचित जाति के लोगों का फसाया जा रहा है। इस काण्ड के माध्यम से डोरीगंज (सारण) थाना कांड संख्या–122/12 को वापस लेने का दबाब डालने का प्रयास किया जा रहा है। डोरीगंज (सारण) थाना प्रभारी के विरूद्ध अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए।

(xii) पत्रकारनगर थाना कांड संख्या–12/13 में नियमानुसार राहत राशि का भुगतान किया की जाये। साथ ही में अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाये।

(xiii) गोपालगंज टाउन थाना कांड संख्या–94/13 में अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाये।

(xiv) पातेपुर (वैशाली) थाना कांड संख्या–19/13 में नियमानुसार कार्रवाई की जाये।

{(x) एवं (xiv) अनुपालनः– पुलिस महानिरीक्षक, क0व0/संबधित जिला पदा0 }

(xv) यदि कोई अनु0 जाति/अनु0 जनजाति के व्यकि द्वारा अनु0 जाति/अनु0 जनजाति के व्यक्तियों की हत्या अथवा सामुहिक बलात्कार की धटना को अंजाम दिया जाता है तो इस मामले में भी पीड़ित जनों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 के धारा–21 के प्रावधानों के तहत सहायता एवं सुविधाएं दी जानी चाहिए क्योंकि इसमें व्यक्ति की क्षति और प्रतिष्ठा का हनन तो हो ही जाता है?

(अनुपालनः– अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)

(छ) डा0 योगेन्द्र पासवान, माननीय उपाध्यक्ष, राज्य अनुसूचित जाति आय॰ ने निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान आकृष्ट किया:—

(i) **राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा समस्तीपुर एवं बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर** के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन 2005 एवं 2007 के विरूद्ध की गयी नियुक्ति की विवरणी अनु0 जाति/अनु0 जनजाति आरक्षण कोटिवार उपलब्ध करायी जाय। नियुक्ति की अंतिम प्रकिया का क्या हुआ? विश्वविद्यालय द्वारा कितने लोगो को हटाया गया? हटाने का आधार क्या है? विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्ति के मापदण्ड का निर्धारण किस तरह से किया गया है? अनु0 जाति/अनु0 जनजाति के कनीय सहायक वैज्ञानिक/सहायक प्राध्यापक/विषय वस्तु विशेषज्ञ को किस आधार पर हटाया गया। इसकी पूर्ण विवरणी एवं नेट के मापदण्ड का पालन क्यों नही किया गया। जाँच प्रतिवेदन शीध्र उपलब्ध कराया जाय।

(अनुपालनः— सचिव, कृषि विभाग)

(ii) अनु0 जाति/अनु0 जनजाति थाना (गया) काण्ड सं0—79/2012 में की गई कार्रवाई की सूचना उपलब्ध करायी जाय।

(iii) बख्तियारपुर थाना कांड संख्या 289/12 में अभ्युक्तों की गिरफ्तारी की जाय।

(iv) कहरा (सहरसा) थाना कांड संख्या 07/12 दिनांक—23.01.13 की घटना में अधिनियम की धारा 3(2)(7) के तहत कार्रवाई की जाय।

(v) भगवान बाजार (छपरा) थाना कांड संख्या 62/13 दिनांक—18.04.13 में जांचोपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाये।

(vi) महनार (वैशाली) थाना कांड संख्या 16/13 दिनांक—8.02.13 में गुड़िया कुमारी पिता श्री सतीश पासवान, सा0—शाहपुर थाना—महनार जिला— वैशाली की हत्या के मामले दर्ज है। जिसमें जांचोपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाये।

(vii) श्री मती रागनी देवी पति स्व0 उत्तम साफी ग्राम—लदौरा थाना—कल्याणपुर जिला— समस्तीपुर से प्राप्त परिवाद पत्र के आलोक में कल्याणपुर (समस्तीपुर) थाना काण्ड सं0—75/13 मे जांचोपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाये।

{(ii) एवं (vii) अनुपालनः— पुलिस महानिरीक्षक, क0व0/संबधित जिला पदा0 }

(viii) श्री अमरजीत पासवान पिता—स्व0 कुताय पासचान, एवं अन्य, ग्राम—खुर्द लोदीपुर, अचंल—सबौर जिला—भागलपुर से प्राप्त परिवाद पत्र के आलोक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जांचोपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाये।

(अनुपालनः— राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)

(ज) **श्री उदय मांझी, अध्यक्ष, राज्य महादलित आयोग** द्वारा निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकृंष्ट किया गया :–

(i) यदि एक अनु0 जाति/अनु0 जनजाति के व्यक्ति द्वारा दुसरे अनु0 जाति/अनु0 जनजाति के व्यक्तियों की हत्या अथवा सामुहिक बलात्कार की धटना करता है तो इस मामले में भी पीड़ितो को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 के प्रावधानों के तहत सहायता एवं सुविधाएं दी जानी चाहिए।

सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा बताया गया कि अधिनियम में इस प्रकार का प्रावधान नही है।

(अनुपालनः–अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)

(ii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम –1989 एवं नियम–1995 के तहत मृत महादलित परिवार के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अर्हता में छूट दी जाय।

(अनुपालनः–गृह (विशेष) विभाग)

(iii) फुलवारीशरीफ (गौरीचक) थाना काण्ड सं0–287/05 में आश्रित को राहत अनुदान के अतिरिक्त पेशंन/रोजगार/नौकरी नही दी गई है।

(अनुपालनः–ज़िला पदाधिकारी, पटना)

(iv) श्रीमती फुलवा देवी पति स्वःजीतु मांझी,(पूर्व नगर सेवक) ग्राम–गोनापुरा पोखरपर, पो0–आलमपुर गोनपुरा थाना–फुलवारीशरीफ, पटना–801505 पटना नगर निगम में अनुकम्पा की नौकरी दी जाय।

(अनुपालनः– नगर विकास एवं आवास विभाग)

(झ) **श्री बाबुलाल टुडु, अध्यक्ष, राज्य अनुसूचित जाति आयोग** द्वारा निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकृष्ट किया गयाः–

(i) अनु0 जाति/अनु0 जनजाति थाना पूर्णियां कांड संख्या–27/13

(अनुपालनः–पुलिस महानिरीक्षक, क0व0)

(ii) श्री किशना उरांव पिता मंगले उरावं मो0–रामबाग, थाना–सदर, पूर्णियां का परिवाद पत्र, जिसका केश न0–381/90 है, का जांच कराकर नियमानुसार कार्रवाई की जाय।

(अनुपालनः–राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/पुलिस महानिरीक्षक(क0व0) / जिला पदाधिकारी, पूर्णिया)

(iii) अनु0 जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम–2006 के आलोक में वन क्षेत्रों में पट्टा दिया जाना है। अभीतक मात्र गया एवं बांका जिला में कुछ लोगों को पट्टा दिया गया है।

(अनुपालनः– पर्यावरण एवं वन विभाग/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग)

(त) **श्री श्याम बिहारी राम, स.वि.स.** द्वारा ध्यान आकृष्ट किया गया कि फरैया थाना (रोहतास) **कांड** संख्या–36/13 में दलित महिला की हत्या कर दी गई है। जिसमें अभियुक्त की **गिरफ्तारी** की जाय एवं राहत राशि का भुगतान किया जाय। साथ ही बताया गया कि **रोहतास** के एक मोहल्ला में जातीय तनाव हो गया है।

(अनुपालनः– गृह विभाग/ पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक(क0व0))

(थ) **माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिये गये कि :–**

- सभी सदस्यों से प्राप्त परिवाद पत्रों/संवेदनशील मामलों का निराकरण अगली बैठक से **पूर्व** कर ली जाय।
- अगली **बैठक** माह जुलाई, 2013 में आयोजित होगी। अभी से ही अगली बैठक की तिथि निर्धारण के लिए विभाग के द्वारा प्रस्ताव भेजी जाय। तिथि एवं समय उपलब्ध करा दिया जाएगा।
- मुख्य सचिव के स्तर पर प्रत्येक माह जिला पदाधिकारियों के साथ होनेवाली विडियो **कान्फ्रेसिंग** में अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 को मुख्य कार्यावली में शामिल किया जाय।
- आज की **बैठक** की कार्यवाही, उनके अनुपालन एवं प्रस्तुतीकरण पहले से बेहतर हुए है। **इस** बैठक को उपयोगी एवं उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए अधिनियम/नियम के प्रत्येक **धाराओं**/नियमों की समीक्षा की जाय।
- अनु0 जाति और अनु0 जनजाति के लोगो पर अत्याचार करने के मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषियों को सजा दिलाई जाय।

(अनुपालनः–मुख्य सचिव/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/गृह विभाग/पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक(क0व0)/सभी जिला पदाधिकारी/सभी पुलिस अधीक्षक)

धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

सचिव
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति
16/5/13

बिहार सरकार
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

ज्ञाप संख्या– 1/पी0सी0आर0(विविध)09–12/13 1106 पटना, दिनांक– 17/5/2013

प्रतिलिपि– माननीय सांसद/माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, सदस्य राज्य स्तरीय सत्तर्कता एवं अनुश्रवण समिति को सूचनार्थ प्रेषित।

17/5/13
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या– 1/पी0सी0आर0(विविध)09–12/13 1106 पटना, दिनांक– 17/5/2013

प्रतिलिपि– सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय,बिहार/आप्त सचिव, वित्त मंत्री /आप्त सचिव, गृह मंत्री/आप्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

17/5/13
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या– 1/पी0सी0आर0(विविध)09–12/13 1106 पटना, दिनांक– 17/5/2013

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव के सचिव, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार/पुलिस महानिरीक्षक(कमजोर वर्ग) अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

17/5/13
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या– 1/पी0सी0आर0(विविध)09–12/13 1106 पटना, दिनांक– 17/5/2013

प्रतिलिपि– सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव,/विधि विभाग, बिहार, पटना/गृह (आरक्षी)विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/आरक्षी उप निरीक्षक/महानिदेशक,अभियोजन/निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग,/निदेशक, आई0सी0डी0एस0/निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी उप निदेशक, कल्याण एवं सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/5/13
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 1/पी0सी0आर0(विविध)09–12/13 1106 पटना, दिनांक– 17/5/2013

प्रतिलिपि– संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/5/13
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या– 1/पी0सी0आर0(विविध)09–12/13 1106 पटना, दिनांक– 17/5/2013

प्रतिलिपि– निदेशक, राष्ट्रीय अनु0 जाति/जनजाति आयोग, 189,बी श्रीकृष्णापुरी, पटना/सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग/सचिव, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/सचिव, राज्य महादलित आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/5/13
सरकार के अवर सचिव

संलग्नक